IV-104/2019

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

13 SEP 2019

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EW 535969

S. P. Tiwari
Advocate

ट्रस्ट डीड (न्याय पत्र)

मैं **क्षमा सिन्धु तिवारी** सुत स्व **श्रीपाल तिवारी** परोपकार एवं समाजसेवा की भावना एवं समाज के सभी वर्गो के उत्थान के लिए सभी ट्रस्टी के निर्णय से एक ट्रस्ट के गठन का निर्णय लिया है, जिसका नाम **श्री सोमनाथ एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट** होगा। हम ट्रस्टीज ने इस शुभ कार्य के लिए 10000/-(दस हजार रूपया) इस ट्रस्ट को समर्पित किये हैं, जो इस ट्रस्ट की स्थायी निधि होगी। इस ट्रस्ट का नाम, कार्यालय, उद्देश्य, कार्य विधि इस प्रकार होगी।

1. ट्रस्ट का नाम : **श्री सोमनाथ एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट**
2. ट्रस्ट का कार्यालय : 2010 'ख' भट्ठा रोड करौंदिया, सुलतानपुर जिला–सुलतानपुर (उ0प्र0)
3. ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत वर्ष।
4. ट्रस्ट का उद्देश्य : संलग्न हैं।

ट्रस्ट के धन का विनियोग :

1. ट्रस्ट के धन का विनियोग आयकर विधान की धाराओं एवं अन्य सम्बन्धित प्राविधानों के उद्देश्यों के लिए किया जायेगा।
2. उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धन संग्रह करना एवं व्यय करना, सहायता लेना व देना, ब्याज रहित व ब्याज सहित ऋण लेना व देना, जायदाद खरीदना व बेचना, निर्माण करना, रेहन रखना, लीज पर देना व लेना, बैंक व्यवहार करना एवं जों भी आवश्यक कार्य उन्हें करना।
3. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु देश–विदेश से दान व ऋण, क्रय विनिमय, पथ्य किराये पर या अन्य किसी प्रकार के भूखण्ड या कोई चल या अंचल सम्पत्ति प्राप्त करना।
4. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ट्रस्ट की किसी भी चल या अचल सम्पत्ति का विक्रय प्रबन्ध हस्तांतरण, विनिमय, बंधक, पट्टे, गिरवी या किसी भी भांति से उपयोग में लाना।

ट्रस्ट मण्डल :–

1. ट्रस्ट का एक स्थायी मण्डल होगा, जिसमें सदस्यों की सं0–न्यूनतम ....होगी।
2. ट्रस्ट में नामित सदस्यों की नियुक्ति भी आवश्यकतानुसार की जा सकती है।

Scanned by CamScanner

32/100

3.10.13

उप निबन्धक सुल्तानपुर जिला-सुल्तानपुर

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

13 SEP 2019

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EW 535970

3. ट्रस्ट के प्रबन्धक का कार्यकाल आजीवन अथवा मुख्य न्यासी/प्रबन्धक के अनुसार होगा और उनके मृत्योपरान्त उपप्रबन्धक अथवा उनका उत्तराधिकारी अथवा उनके द्वारा मृत्यु पूर्व नामित व्यक्ति ही उनके स्थान पर नियुक्त होगा।
4. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी सरकारी/गैर सरकारी मामलों में अथवा किसी वित्तीय संस्था या बैंक से ऋण लने की दशा में ट्रस्ट मुख्य न्यासी/प्रबन्धक के हस्ताक्षर द्वारा समस्त दस्तावेजों का निष्पादन किया जायेगा।
5. ट्रस्ट के स्थायी, अस्थायी एवं नामित सदस्यों की नियुक्ति मुख्य न्यासी/प्रबन्धक के निर्णय से ही की जायेगी।
6. स्थायी ट्रस्टियों में से किसी का स्थान रिक्त होने पर उनके स्थान पर नियुक्ति मुख्य न्यासी/प्रबन्धक के निर्णय से ही की जायेगी।
7. किसी भी विषय पर मतदान की स्थिति में मुख्य न्यासी/प्रबन्धक द्वारा निर्णय अथवा बहुमत ही मान्य होगा।
8. ट्रस्ट मण्डल के द्वारा लिये गये सभी निर्णयों एवं कार्यां का क्रियान्वयन ट्रस्ट के प्रबन्धक द्वारा निर्णय ही मान्य होगा।

ट्रस्ट की सदस्यता :–

हर वह स्त्री अथवा पुरूष जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, एवं किसी न्यायालय द्वारा दण्ड़ित न किया गया है, पागल अथवा दिवालिया न घोषित हो मुख्य न्यासी/प्रबंधक के हस्ताक्षर से ट्रस्ट का सदस्य बन सकता है। (मुख्य न्यासी/प्रबन्धक की विशेष अनुमति से सुश्री श्रीम तिवारी को छोड़कर)

बैठक :–

प्रबन्धकारिणी समिति की कम से कम एक बैठक द्वितीय वर्ष अवश्य होगी जो आवश्यकतानुसार 24 घण्टे पूर्व कभी भी बुलाई जा सकती है।

1. पूर्व मीटिंग की कार्यवाहक की स्वीकृति देना।
2. प्रबन्धक द्वारा रखी गयी वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करके उसे पास करना।
3. आगमी वर्ष के बजट पर चर्चा करके उसे पास करना।

Scanned by CamScanner

प्रमाणित विलेख 52

आवेदन सं०: 201900915010885

न्यास पत्र

बही स०: 4	**रजिस्ट्रेशन स०: 104**	**वर्ष: 2019**

प्रतिफल- 10000 स्टाम्प शुल्क- 750 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 200 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 280

श्री क्षमा सिन्धु तिवारी – प्रबन्धक ,
पुत्र श्री स्व० श्रीपाल तिवारी
व्यवसाय : अन्य
निवासी: निवासी म०नं० 2010 ख, भड्डा रोड करौंदिया तह० व जिला सुलतानपुर

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 03/10/2019 एवं 04:54:10 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अजय धर्मराज सिंह
उप निबंधक :सदर
सुलतानपुर
03/10/2019

पुष्पराज श्रीवास्तव .
निबंधक लिपिक

उप निबंधक सुलतानपुर जिला-सुलतानपुर, सत्यमेव जयते, उत्तर प्रदेश

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

13 SEP 2019

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EW 535971

4. ट्रस्ट की नियमावली में प्रबन्धक ट्रस्टीज द्वारा पास किये गये संशोधन को ट्रस्ट के हित में मंजूरी देना।
5. किसी ऐसे मामले के बारे में कार्यवाही करना जिसे प्रबन्धक ट्रस्टीज ने कार्यवाही हेतु मीटिंग में पेश किया हो।
6. किसी विशेष आवश्यकता के लिए सब कमेटी बनाना।

प्रबन्धक ट्रस्टीज :–

जो सदस्य इस ट्रस्ट का निर्माण कर रहे हैं वही प्रबन्धक ट्रस्टीज कहलायेंगे। मुख्य न्यासी/प्रबंधक की मृत्यु के बाद स्थायी सदस्यों में से ही मुख्य न्यासी/प्रबन्धक का चुनाव किया जायेगा बाकी सदस्य कहलायेंगे। इस प्रकार ट्रस्टीज की कुल संख्या 07 होगी।

बैठक –

मुख्य न्यासी/प्रबन्धक ट्रस्टीज की सामान्य बैठक कभी भी तीन दिवस की लिखित सूचना पर एवं विशेष बैठक की सूचना 24 घण्टे पूर्व लिखित सूचना पर बुलाई जा सकती है।

कोरम–

मुख्य न्यासी/प्रबन्धक ट्रस्टीज के कुल वैध सदस्यों में 1/2 सदस्यों की उपस्थिति कोरम मानी जायेगी।

रिक्त स्थानों की पूर्ति–

मुख्य न्यासी/प्रबन्धक ट्रस्टीज के अन्तर्गत यदि समय से पहले अचानक कोई पदाधिकारी का स्थान रिक्त होने पर उसकी पूर्ति मुख्य न्यासी/प्रबन्धक के निर्णय एवं हस्ताक्षर से बचे हुए कार्यकाल के लिए में से की जायेगी एवं कार्यकाल पूरा होने पर जिस व्यक्ति का स्थान खाली हुआ है, उसके स्थान पर नए व्यक्ति की नियुक्ति मुख्य न्यासी/प्रबन्धक एवं ट्रस्टीज के निर्णय से की जायेगी।

ट्रस्टीज के अधिकार एवं कर्तव्य–

1. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक कार्य करना।
2. ट्रस्ट की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
3. ट्रस्ट की चल एवं अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना।

Scanned by CamScanner

आवेदन सं०: 201900915010885

बही स०: 4 | रजिस्ट्रेशन स०: 104 | वर्ष: 2019

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री क्षमा सिन्धु तिवारी , प्रबन्धक, पुत्र श्री स्व० श्रीपाल तिवारी

निवासी: निवासी म०नं० 2010 ख, भट्ठा रोड करौंदिया तह० व जिला सुलतानपुर

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री अकिंत सोनी, पुत्र श्री पी० सी० सोनी

निवासी: निवासी म०नं० 458/6 तृतीय फ्लोर गोविन्दपुरी नई दिल्ली

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

श्री राजेन्द्र तिवारी, पुत्र श्री विजय पाल तिवारी

निवासी: निवासी म०नं० 2341/6 निराला नगर तह० व जिला सुलतानपुर

व्यवसाय: अन्य

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं ।

टिप्पणी :

अजय धर्मराज सिंह
उप निबंधक : सदर
सुलतानपुर

पुष्पराज श्रीवास्तव .
निबंधक लिपिक

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

13 SEP 2019

EW 535972

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

4. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हर वो कार्य करनाा, जिससे ट्रस्ट का लाभ हो।

ट्रस्ट के पदाधिकारी के अधिकार व कर्तव्य–

मुख्य न्यासी/प्रबन्धक :–

1. सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. बैठकों के लिए दिनांको का अनुमोदन, परिवर्तन एवं स्थगित करना।
3. बैठक में शान्ति व्यवस्था बनाये रखना।
4. समान मत होने पर निर्णायक मत देना।
5. ट्रस्ट की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
6. ट्रस्ट की समस्त प्रपत्रों पर प्रबंधक द्वारा हस्ताक्षर कराकर प्रमाणित करना।
7. बजट के आधार पर ट्रस्ट की सम्पत्ति का प्रबंधन एवं नियंत्रण करना।
8. संस्था के आय व्यय का लेखा जोखा रखना।
9. दान व चन्दा प्राप्त करना एवं उसकी रसीद देना।
10. ट्रस्ट के विकास हेतु आवश्यक कार्य करना तथा ट्रस्ट के अभिलेखों एवं प्रपत्र को सुरक्षित रखना।
11. कर्मचारियों की पदोन्नति, वेतन वृद्धि, निलम्बन, निष्कासन तथा नियुक्ति करना।
12. सदस्यों के नाम सदस्यता रजिस्टर में लिखना।
13. बैठकों की सूचना सदस्यों को लिखित रूप से देना।
14. ट्रस्ट की ओर से समस्त पत्र व्यवहार करना।
15. बैठकों की कार्यवाही लिपिबद्ध करना एवं सुनाना।

ट्रस्ट का कोष–

ट्रस्ट का कोष किसी भी मान्यता प्राप्त व राष्ट्रीयकृत बैंक में ट्रस्ट के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा, जिसका आहरण मुख्य न्यासी/प्रबन्धक के एकल या उनकी इच्छा से प्रबन्धक/कोषाध्यक्ष के सामूहिक हस्ताक्षर से होगा।

Scanned by CamScanner

35/100

[illegible]
[illegible]
[illegible]

सुलतानपुर

3.1.13

[illegible] सदर सुलतानपुर जिला सुलतानपुर
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

13 SEP 2019

EW 535973

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

ट्रस्ट का आय–

व्यय का लेखा–जोखा परीक्षण आडिट–ट्रस्ट के आय–व्यय का परीक्षण आडिट किसी योग्य आडीटर द्वारा वर्ष में एक बार कराया जायेगा, जिसकी नियुक्ति प्रबन्धक के निर्णय से होगी हर वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा।

उत्तरदायित्व–

ट्रस्ट द्वारा होने वाले समान अदालती कार्यवाही की पैरवी मुख्य न्यासी/प्रबन्धक अथवा उसके द्वारा संयुक्त रूप से अधिकृत व्यक्ति/संस्था द्वारा की जायेगी।

दायित्व–

ट्रस्ट की प्रदत्त ऋणों की अदायगी उसकी उपयोगिता एवं सुरक्षा का दायित्व मुख्य न्यासी/प्रबंधक का होगा और आवश्यकता पड़ने पर वाहरी दायित्व के लिए सदस्य ट्रस्टीज अपनी व्यक्तित्व सम्पत्ति जमानत में नहीं देंगे। मुख्य न्यासी/प्रबन्धक की ही व्यक्तिगत समपत्ति अथवा मुख्य न्यासी/प्रबंधक की सहमति से इसका प्रयोग ट्रस्ट की ऋण आदि में प्रयोग किया जायेगा सदस्यों का इसमें कोई सहभाग नहीं होगा।

ट्रस्ट का विघटन–

ट्रस्ट के विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही यदि प्रबन्धक ट्रस्टीज के 2/3 सदस्य इस बात से सहमति हो कि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल हो रहा है। तो वे ट्रस्ट के विघटन हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बुलाई गयी बैठक में 2/3 के बहुमत से कर सकती है और विघटित सम्पत्ति ट्रस्ट के समान उद्देश्य रखने वाले ट्रस्ट आदि को निर्धारित ट्रस्ट के समस्त ऋणों व कागजात आदि के भुगतान के बाद शेष सम्पत्ति समान रुप से हस्तांरित कर देगी।

Scanned by CamScanner

36/60

पिता का नाम
निवासी
थाना
तहसील
जिला सुल्तानपुर

3.10.19

दफ्तर सब रजिस्ट्रार सुलतानपुर जिला-सुलतानपुर
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

13 SEP 2019

EW 535974

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

स्मृति-पत्र

1. ट्रस्ट का नाम : श्री सोमनाथ एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट
2. ट्रस्ट का कार्यालय : 2010 'ख' भठ्ठा रोड, करौंदिया जनपद–सुलतानपुर (उ0प्र0)
3. ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत वर्ष।
4. ट्रस्ट का उद्देश्य : निम्नलिखित वर्णित है।

1. ट्रस्ट द्वारा प्राथमिक से उच्च स्तर तक की शिक्षा व्यवस्था करना।
2. ट्रस्ट द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु विद्यालय, महाविद्यालय आदि का संचालन एवं प्रबन्ध करना।
3. ट्रस्ट द्वारा माध्यमिक एवं केन्द्रीय विद्यालय आदि का संचालन एवं प्रबन्धन करना।
4. ट्रस्ट द्वारा शिक्षा के प्रति पूर्ण रूझान, लगन और उत्साह पैदा कर साक्षरता अभियान को सफल बनाने में सरकार का सहयोग करना।
5. ट्रस्ट द्वारा पैरा–मेडिकल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैंनेजमेंट एवं अन्य व्यवसायिक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, उसका संचालन एवं प्रबंधन करना।
6. ट्रस्ट द्वारा शैक्षिक नैतिक एवं सामाजिक स्तर के सुधार हेतु ज्ञान वर्धक पुस्तकों का भण्डारण करना तथा उसके माध्यम से लोगों में जागृति का संचार करना।
7. ट्रस्ट द्वारा प्रतिभाशाली छात्र–छात्राओं के समुचित शिक्षा व्यवस्था में भरपूर मदद करना।
8. ट्रस्ट द्वारा बालक/बालिकाओं का सामाजिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, बौद्धिक, शैक्षिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक विकास करना।
9. ट्रस्ट द्वारा ज्ञानवर्धन हितार्थ, पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था करना।
10. ट्रस्ट द्वारा गरीबी अथवा अन्य कारणवश शिक्षा न प्राप्त करने अथवा बीच में ही छोड़ देने वाली महिलाओं, बालिकाओं हेतु संक्षिप्त पाठ्यक्रम कन्डेन्स कोर्स चलाना।
11. ट्रस्ट द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अनुरूप प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्नातकोत्तर शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रबन्धकीय शिक्षा, कृषि शिक्षा, आदि के संचालन हेतु भवन व प्रबन्धकीय व्यवस्था करना।

Scanned by CamScanner

37/10

श्यामा सिंधु तिवारी
[illegible] पाल तिवारी
[illegible]

[illegible] 3.10.13

कार्यालय उप निबंधक सुल्तानपुर जिला-सुल्तानपुर
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

13 SEP 2019

EW 535975

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

12. ट्रस्ट द्वारा विद्यालय परिसर में युवक/युवतियों व बालक/बालिकाओं के लिए खेलकूद व्यायामशाला तथा मनोरंजन के साधनों को उपलब्ध कराने का प्रयास करना।
13. ट्रस्ट द्वारा श्रमिक वर्ग, खेतिहर वर्ग, निर्बल वर्ग, अल्प वर्ग, महिला वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, अल्प पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति आदिवासी, मलिन वर्ग एवं गरीब सभी जाति वर्ग के लोगों हेतु तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था करना तथा संचालन करना।
14. ट्रस्ट द्वारा बालक एवं बालिकाओं का सफल बनाने के लिए टंकण, आशुलिपि, कम्प्यूटर, शार्टहैण्ड, फोटोग्राफी आदि का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना।
15. ट्रस्ट द्वारा वृद्ध असहाय तथा अक्षम महिलाओं एवं पुरूषों हेतु वृद्धाश्रम, संरक्षण गृह आदि की स्थापना एवं संचालन करना।
16. ट्रस्ट द्वारा पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण का प्रयास करना। नदियों, जलाशयों की सफाई, मलिन बस्ती का सुधार, वृक्षारोपण आदि के कार्यक्रमू चलाना।
17. ट्रस्ट द्वारा ग्राम्य विकास के लिए हैण्ड पम्प लगाना, नल लगाना, सड़कों का विस्तार करना, कमजोर एवं निर्बल वर्गो को निःशुल्क आवास की व्यवस्था करना।
18. ऊसर या परती भूमि सुधार कार्यक्रम चलाना और भूमि संरक्षण का प्रयास करना।
19. ट्रस्ट द्वारा महिलाओं को जागरूक बनाने हेतु जागरूकता शिविर लगाना। परिवार नियोजन सम्बन्धी जानकारी दिलाना, शिशु पालन, गृह केश का संचालन करना।
20. ट्रस्ट द्वारा समाजोत्थान हेतु संगोष्ठियों, परिचर्चाओं आदि का आयोजन करना।
21. ट्रस्ट द्वारा साम्प्रदायिकता के विनाश एवं राष्ट्रीय एकता, अखण्डता एवं बन्धुत्व का प्रचार हेतु सांस्कृतिक कार्य का आयोजन करना।
22. ट्रस्ट द्वारा महिलाओं के लिए विशेष उद्यमिता विकास अभियान चलाने हेतु तकनीकी व गैर तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना तथा महिलाओं के लिए सरकारी सहायता के प्रति जागरूक करना तथा महिला/दलित महिला के श्रम का श्रमार्जन करना।
23. ट्रस्ट्र द्वारा महिलाओं के सहभागिता पर आधारित कार्यों को बढ़ावा देने तथा महिला सशक्तीकरण हेतु तकनीकी शिक्षा, पौष्टिक आहार, पोषण शुद्ध खाद्य पदार्थो का उपयोग,

Scanned by CamScanner

38/100

[illegible stamp] निवासी [illegible] तहसील [illegible] जिला [illegible]

क्षमा सिंह तिवारी
[illegible] श्री [illegible] तिवारी
ग्रा० [illegible]

[illegible signature]

[illegible signature]
3.1.13

रमेश तिवारी
[illegible]

उप निबन्धक सुल्तानपुर जिला-सुल्तानपुर
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

Scanned by CamScanner

510

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BW 940491

स्वास्थ्य उत्थान, महिला समृद्धि योजना, ग्रामीण महिला विकास कार्यक्रमों / परियोजनाओं का क्रियान्वयन / कार्यान्वयन का क्रियान्वयन / कार्याक्रन्वयन व संचालन करना।

24. ट्रस्ट के बारे में विशेषज्ञों, बुद्धिजीवियों द्वारा शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से बढ़ावा देना, कृषि आर्थिक उत्थान का कार्य ग्रामीण विकास प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराना व जानकारी देने का कार्य करना। मृदा के स्वरूप को स्थायी तथा उर्वर रखने के लिए उनकी संरचना तथा उर्वरता को स्थायी बनाने रखने पर कार्यक्रम का संचालन करना।

25. ट्रस्ट द्वारा श्रमिक वर्ग, खेतिहार वर्ग, निर्बल वर्ग, अल्प वर्ग, महिला वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, अल्प पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति / जनजाति आदिवासी मलिन वर्ग एवं गरीब सभी जाति वर्ग के लोगों हेतु तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, पोषण व रैन बसेरा आवास की व्यवस्था करना तथा संचालन करना।

26. ट्रस्ट द्वारा विकलांगों, मूक वधिरो, नेत्रहीनों, मंद बुद्धि, मानसिक रोगियों व कुछ रोगियों के कल्याण हेतु सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित करने हेतु शिक्षा व समान अवसर अधिकार संरक्षण व पूर्ण भागीदारी पर जोर देना ताकि शिक्षा तकनीकी, शिक्षा रोजगारपरक प्रशिक्षण, आरक्षण, अनुसंधान व मानवशक्ति विकास स्वच्छ शान्ति वातावरण सुरक्षा का दायित्व प्रदान करना। जिससे ये लोग समाज में प्रतिस्थापित हो और स्वावम्बी बन सके। जैसे कार्य करना।

27. ट्रस्ट द्वारा हस्तकरघा, शक्ति करघा, पापड़ उद्योग, नमकीन, खाद्य तेलधानी, हस्तशिल्प, शिल्पकला, मूर्ति कला, पेंटिंग, हस्तकला, हस्तकागज, वस्त्र उ़द्योग, चिकन होजरी, सिलाई, कढ़ाई, जूट सामग्री, रेडीमेड गारमेंटस, सब्जी मसाला, पैकिंग, चर्म कला उद्योग, मूर्ति कला, चित्रकला, काष्ट कला, तथा कागज लिफाफा, फाइवर गिलास, मसरुम, कल्टीवेशन, रेशम उत्पादन व तकनीकी प्रशिक्षण, नवीन कृषि प्रशिक्षण, खनिज सम्पदा, औषधीय सम्पदा, पौधा रोपण, नर्सरी वनीकरण, वृक्ष संरक्षण, खादी कताई, कम्प्यूटर शार्टहैण्ड टाइपिंग, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रानिक्स, उद्योग आदि की उद्यमिता प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना व संचालन करना एवं उक्त व्यवसाय में लगे लोगों का उत्थान करना।

Scanned by CamScanner

39/1

रमा सिंधु तिवारी
पत्नी पवन तिवारी
नि० 10 c9 कड़वाडीह
गौरिया

सुल्तानपुर

3/1/12

...सुल्तानपुर जिला-सुल्तानपुर
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

28. ट्रस्ट द्वारा जड़ी बूटी व औषधीय पौधों का प्रचार–प्रसार व संचालन एवं औश्र जागरूकता को बढ़ावा तथा भारतीय चिकित्साा पद्धतियों में अनुसंधान शिक्षा प्रसार–प्रचार की व्यवस्था करना।
29. ट्रस्ट द्वारा शहरी व ग्रामीण मलिन बस्तियों के प्रजनन व शिशुओं के लिए स्थास्थ्य मातृत्व, जागरूकता तथा पौष्टिकतायुक्त खाद्य पोषण दवा व उपचार की उपलब्धता, व्यवस्था का प्रबन्ध करना।
30. जनसंख्या वृद्धि, परिवार कल्याण नियोजन, लिंग भेद, भ्रूण हत्या का निरोधन स्थिर रखने हेतु आवश्यक प्रचार–प्रसार व्यापक अभियान स्वास्थ्य परिचर्चा का आयोजन करना तथा समस्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सूचना शिक्षा तथा संप्रेक्षण के माध्यम से सुदूर ग्रामों तक परिवार का कार्य करना एवं निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करना।
31. एच0आई0वी0/एड्स को नियंत्रित करना तथा यौन संचारित संक्रमणीय रोग का उपचार करना तथा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के बीच अधिक से अधिक एकीकरण को बढ़ावा देने का कार्य करना, पल्स पोलियों अभियान का कार्य करना।
32. ट्रस्ट द्वारा शहरी व ग्रामीण मलिन, बस्तियों, जंगलवासियों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों व अति कमजोर विस्थापित व अप्रवासी/प्रवासी गरीबों व निःसहाय आवास पोषण पौष्टिक आहार आदि की व्यवस्था उपलब्ध करना निर्माण संचालन प्रबन्धक सेवा परामर्श आदि कार्य करना।
33. ट्रस्ट द्वारा राष्ट्रीय पोषण मिशन के अन्तर्गत कुपोषण के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान/पौष्टिकता सम्बन्धी जानकारी पूरक पोषण को बढ़ावा कम मूल्य के पोषण/पौष्टिक आहारों का प्रयोग किशोरियों/शिशुओं को पोषण/पौष्टिकता सम्बन्धी देखभाल पर विशेषण बल एवं अनुश्रवण की व्यवस्था संचालन तथा प्रचार–प्रसार करना।
34. ग्रामीण पुनः निर्माण खाद्य सुरक्षा, कृषि क्षेत्र के निर्माण, भूमण्डलीय प्रतिस्पर्धा, कृषि विकास, ग्रामीण संचार, पंचायतीराज की जानकारी, जन शिक्षण प्रौढ़ साक्षरता संगध एवं औषधीय पौधों की खेती, भू–संसाधन, संरक्षण एवं संवर्धन अनुपयुक्त भूमि की उपयोगिता नवीन तकनीकी का प्रदर्शन व प्रचार–प्रसार, खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना अनुसंधान एवं शिक्षा का संचालन व व्यवस्था करना।
35. पर्यावरण एवं परिस्थितियों के संरक्षण एवं सवर्धन हेतु संसाधनों का उपयोग करना एवं भौतिक कारकों में सामन्जस्य स्थापित करना।
36. ट्रस्ट द्वारा कृषि विविधीकरण उन्नति पद्धतियों के द्वारा उत्पादनकर्ता को बढ़ाना भूमि संरक्षण बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जल संरक्षण जल संचय तथा नमी संरक्षण का ज्ञान व प्रचार–प्रसार करना।
37. ट्रस्ट द्वारा सतत् ग्रामीण विकास परियोजना के कार्यान्वयन को सरल बनाना। स्वैच्छिक कार्य सम्बन्धों राष्ट्रीय आंकड़ा संग्रहण के रूप में कार्य करना उपयुक्त ग्रामीण प्रौद्योगिकियों के विकास और प्रचार–प्रसार के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना।

Scanned by CamScanner

रजिस्ट्रार सुल्तानपुर जिला-सुल्तानपुर

उत्तर प्रदेश

Scanned by CamScanner

38. ट्रस्ट द्वारा सभी जाति वर्ग के लोगों की सहभागिता और स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देना राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय सरकारों के द्वारा प्राप्त परियोजनाओं का संचालन व नेट बैंकिंग करना तथा ग्रामीण स्वच्छता स्वजल/पेयजल परियोजनाओं के कार्यक्रमों को संचालित करना।

39. ट्रस्ट द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन करना तथा वायु प्रदूषण, जल पदूषण ध्वनि प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण का निस्तारण का दिशा निर्देशन एवं प्रचार–प्रसार एवं रोकथाम करना। प्रदूषण रहित परियोजनाओं की व्यवस्था निर्माण एवं संचालन करना बाढ़/भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों/ लोगों की मदद करना।

40. ट्रस्ट द्वारा सरकारी/अर्द्ध सरकारी/ व्यक्तिगण देशी/विदेशी परियोजनाओं का निर्माण संचालन सर्वेक्षण अन्वेषण उपस्कर भूमिगत निर्माण, अनुसंधान विकास कार्यान्वयन का कार्य करना।

41. ट्रस्ट द्वारा बच्चों के अधिकार संरक्षण के उपाय के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन व प्रबन्ध करना, जिसमें प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण स्वच्छ वातावरण आवास व्यवस्था तथा शन्ति वातावरण एवं सुरक्षा का दायित्व प्रदान करने का सुदूर ग्रामांचलों तक व्यवस्था करना।

42. ट्रस्ट द्वारा सभी जाति वर्गा के सजायापता कैदियों/आजीवन कारावास कैदी के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने व समाज में पुर्नस्थापना व स्वावलम्बी बनाने हेतु सभी प्रकार के शिक्षण प्रशिक्षण तकनीकी प्रशिक्षण स्वास्थ्य सुविधा व पुनर्वास के कार्यक्रमों का संचालन व व्यवस्था करना।

43. ट्रस्ट द्वारा सभी देशी व अन्य सरकारी/अर्द्ध सरकारी/गैर सरकारी कार्यो/कार्यक्रमों/परियोजनओं का एवं संस्था अपने द्वारा जारी सभी कार्यो/परियोजनाओं के प्रबन्धन, कार्यान्चयन, क्रियान्वयन, अनुश्रवण, मूल्यांकन, शोध, सांख्यिकी, रिकार्ड, सर्वे के कार्यो का संचालन व मार्गदर्शक के रूप सम्पन्न कराना तथा कार्यशाला विचार गोष्ठी का आयोजन व संचालन करना, अनुभवी प्रशिक्षकों व वैज्ञानिकों के सहयोग को उपलब्ध करना।

44. ट्रस्ट द्वारा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय, सीवर सफाई जल निकासी का निर्माण व संचालन करना तथा समग्र सफाई अभियान का संचालन करना।

45. ट्रस्ट द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अनुरूप प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्नातकोत्तर शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रबन्धकीय शिक्षा, कृषि शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा आदि के संचालन हेतु भवन व प्रबन्धकीय व्यवस्था करना।

46. ट्रस्ट द्वारा मानव कल्याण हेतु शिक्षा, पोषण, आवास, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण जैसे आधारभूत आवश्यकताओं का सृजन, संरक्षण तथा उनके प्रति जागरूकता हेतु सभी संसाधनों का उपयोग करना।

47. ट्रस्ट द्वारा ऐतिहासिक, पुरातात्विक स्थलों की सुरक्षा, सुरक्षा एवं पहचान पारम्परिक रीतियों के अनुसार व्यवस्थित रखने का प्रचार–प्रसार करना।

48. ट्रस्ट द्वारा समाज में फैली कुरीतियों, रूढ़िवादी विचारों, अन्ध विश्वासों को समापन करने हेतु प्रचार–प्रसार का आयोजना करना।

Scanned by CamScanner

दफ्तर सब रजिस्ट्रार सुल्तानपुर जिला-सुल्तानपुर

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश

Scanned by CamScanner

49. ट्रस्ट द्वारा ग्रामीण व शहरी पेयजल तथा पर्यावरणीय स्वच्छता के क्षेत्र को उपरोक्त रीति से निर्धारण में सहायता करना तथा पेयजल श्रोत, स्वच्छता एवं जलसंरक्षण के संचालन हेतु बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन आदि का निर्माण एवं रख–रखाव व प्रबन्धन करना।

50. ट्रस्ट द्वारा सभी देशी व अन्य सरकारी अर्द्ध सरकारी विभागों व्यक्ति/व्यक्तियों स्वयं सेवी संगठनों से परियोना सम्बन्धी सहयोग व परामर्श प्राप्त करने का कार्य तथा संचालन व प्रबन्धन करना तथा नोडल एजेंसी के रूप में कार्यान्वियन क्रियान्वयन अनुश्रवण व संचालन का कार्य करना।

51. ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क प्रौढ़ आंगनबाड़ी सेवा, जन शिक्षण केन्द्र सहभागी शिक्षण केन्द्रों की स्थापना व संचालन करना।

52. समाज कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग महिला, समाज नेडा, सिफ्सा यूनेक्कों, यू0एन0डी0पी0, कर्पाट, यूनिसेफ, सिडवी, अवार्ड, नाबार्ड, मानव विकास मंत्रालय, वन विभाग, विकलांग एवं कुष्ठ विभाग, अल्प संख्यक कल्याण आयोग, पिछड़ा आयोग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग ट्राइसेम, सूडा, डूडा, जल निगम, जल संसाधन, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग आयोग से सभी प्रकार की परियोजनाओं कार्यक्रमों को प्राप्त करना।

53. ट्रस्ट द्वारा उपभोगता संरक्षण हेतु उनके अधिकारों हेतु उनके कार्यक्रमों का प्रसार–प्रचार करना।

54. गाँवों में किसानों, मजदूरों, शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों व महिलाओं को मधुमक्खी पालन तथा पशुपालन का प्रशिक्षण देकर उन्हे स्वरोजगार उपलब्ध कराना तथा मधुमक्खी पालन सम्बन्धी समस्त उपकरणों को बनाना तथा बनाने की तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना एवं मत्स्य पालन के विकास के लिए तकनीकी शोध करना।

55. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग आयोग, जिला उद्योग केन्द्र एवं राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के द्वारा संचालित समस्त ग्राम उद्योगों की स्थापना करना।

56. ट्रस्ट द्वारा मठ, धार्मिक स्थलों का निर्माण व पुर्नगठन करना।

57. गरीब एवं अनाथ लड़कियों के विवाह में सहायता देना।

Scanned by CamScanner

जिला-सुल्तानपुर
उत्तर प्रदेश
सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner

ट्रस्ट के प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों व पदाधिकारियों के नाम, पते व पद

क्र. सं	नाम	पिता / पति का नाम	पद	पता	व्यवसाय
1	क्षमा सिन्धु तिवारी	S/o स्व श्री पाल तिवारी	मुख्य न्यासी / प्रबन्धक	म0न0–2010 'ख' भट्ठा रोड करौंदिया सुलतानपुर	नौकरी
2.	राखी तिवारी	W/o क्षमा सिन्धु तिवारी	कोषाध्यक्ष	म0न0–2010 'ख' भट्ठा रोड करौंदिया सुलतानपुर	व्यसाय
3.	श्रीमती रीता तिवारी	W/o स्व श्री पाल तिवारी	उप प्रबन्धक	म0न0–2010 'ख' भट्ठा रोड करौंदिया सुलतानपुर	गृहणी
4.	कृपा सिन्धु तिवारी	S/o स्व श्री पाल तिवारी	सदस्य	म0न0–2010 'ख' भट्ठा रोड करौंदिया सुलतानपुर	नौकरी
5.	करुणा सिन्धु तिवारी	S/o स्व श्री पाल तिवारी	सदस्य	म0न0–2010 'ख' भट्ठा रोड करौंदिया सुलतानपुर	नौकरी
6.	सुमन तिवारी	W/o कृपा सिन्धु तिवारी	सदस्य	म0न0–2010 'ख' भट्ठा रोड करौंदिया सुलतानपुर	नौकरी
7.	ब्रहमा तिवारी	W/o करुणा सिन्धु तिवारी	सदस्य	म0न0–2010 'ख' भट्ठा रोड करौंदिया सुलतानपुर	नौकरी
8.	श्रीम तिवारी	D/o क्षमा सिन्धु तिवारी	सदस्य	म0न0–2010 'ख' भट्ठा रोड करौंदिया सुलतानपुर	

Drafted by - Surya Prakash Tiwari Advocate
Date - 3/10/19

Ankit Soni
S/o P. C. Soni
450/6 3rd floor Govind puri New Delhi-19

S. P. Tiwari
Advocate

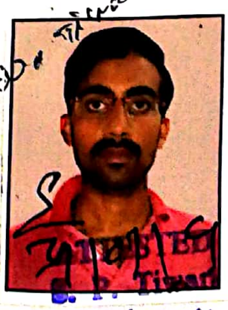

RAJENDRA TIWARI
S/o VIJAY PAL TIWARI
234/16 Niranagar Sultanpur

S. P. Tiwari
Advocate

Scanned by CamScanner

आवेदन सं०: 201900915010885

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 93 के पृष्ठ 375 से 398 तक क्रमांक 104 पर दिनाँक 03/10/2019 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अजय धर्मराज सिंह
उप निबंधक : सदर
सुलतानपुर
03/10/2019

उत्तर प्रदेश सब रजिस्ट्रार सुलतानपुर जिला-सुलतानपुर
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

Scanned by CamScanner